

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.2 (क) (K-343) अलेसे-1/5247

दिनांक:- 23/12/2024

आदेश

विभागीय आदेश संख्या 72/2023-24 दिनांक 03.01.2024 (क्रम संख्या 04) के द्वारा श्री कन्हैया लाल मोची, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 के सेवानिवृत्ति आदेश जारी किया गया।

वित्त (नियम) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.12(6)वित्त/नियम/2008 दिनांक 24.03.2015 के क्रम में यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री कन्हैया लाल मोची, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1, कार्यालय अतिरिक्त निदेशक स्थानीय निधि एवं अंकेंक्षण विभाग, उदयपुर के विरुद्ध आदिनांक से :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।



(भूपेश माथुर)

निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:- एफ.2 (क) (K-343) अलेसे-1/5247

दिनांक:- 23/12/2024

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. अतिरिक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय उदयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक, स्थानीय निधि एवं अंकेंक्षण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय उदयपुर।
4. कोषाधिकारी, उदयपुर।
5. श्री कन्हैया लाल मोची, सेवानिवृत्त सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1।
6. उपनिदेशक(एसीपी) कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदय।
8. निजी पत्रावली/गार्ड फाईल।



(के.जी. गुप्ता)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक)